

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1491]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2013/आषाढ़ 9, 1935

No. 1491]

NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2013/ASADHA 9, 1935

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2013

का.आ. 1931(अ),—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बालों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत: अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2013 से एक वर्ष की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन ई. I]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2013

S.O. 1931(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the Civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958), the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year with effect from the 30th June, 2013 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/17/2003-NE-I] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.